



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ, 1939 (श०)

संख्या - 23 राँची, बुधवार

10 जुलाई, 2019 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	342-349	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश।		भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।		भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।		भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा		भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि।		भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।		भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
		पूरक--
		पूरक "अ"

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**19 जून, 2019 ई०।**

संख्या-13/पी1-8002/2013 (खण्ड)- 3210/सी०,-- श्री इंद्रजीत महाथा, भा०पु०से० (2009), पुलिस अधीक्षक, पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी1-8002/2013 (खण्ड)- 3207/सी०,-- श्री कार्तिक एस०, भा०पु०से० (2010), पुलिस अधीक्षक (मुख्यमंत्री सुरक्षा), विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी1-8002/2013 (खण्ड)- 3208/सी०,-- श्री अजय लिण्डा, भा०पु०से० (2008), पुलिस अधीक्षक, जे०ए०पी०टी०सी०, पद्मा, हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी1-8002/2013 (खण्ड)- 3209/सी०,-- श्री चन्दन कुमार झा, भा०पु०से० (2011), पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी1-8002/2013 (खण्ड)- 3210/सी०,-- श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ को स्थानान्तरित करते हुए अगले नियमित पदस्थापन तक पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान देने का निदेश दिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

5 जुलाई, 2019

संख्या-4/नि० स०-12-31/2017- 3494 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती युनिका शर्मा (पंचम बैच, गृह जिला- चतरा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	UNIKA SHARMA- (110037710614)	DC OFFICE GUMLA	<u>DUMRI BLOCK ,GUMLA</u> Block Development Officer	15/06/2016	15/06/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव

जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

1 जुलाई, 2019

संख्या-1/विविध-817/2018 का.- 5188-- श्री चितरंजन कुमार, भा.प्र.से. (झा:2006), निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा उपभोग हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 24.12.2018 से 31.12.2018 तक कुल 08 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 23.12.2018 के रविवारीय अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

26 जून, 2019

संख्या-1/विविध-822/2010 (खंड) का.- 5077-- श्री अजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:1995), सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को निजी कारणों/निजी व्यय पर विदेश (Netherlands) की यात्रा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 21.08.2019 से 05.09.2019 तक कुल 16 दिनों की उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

26 जून, 2019

संख्या-1/विविध-810/2017 का.- 4992-- श्री रमेश कुमार दूबे, भा.प्र.से. (झा:2005), विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 31.05.2019 से 13.06.2019 तक कुल 14 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई, 2019

संख्या-4/नि० स०-12-173/2015-3408 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री मनोरंजन कुमार, (चतुर्थ बैच, गृह जिला-सिमडेगा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	MANORANJAN KUMAR- (110030519610)	DC OFFICE GUMLA	<u>SISAI BLOCK,</u> <u>GUMLA</u> Block Development Officer	12/02/2013	05/02/2016

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 जुलाई, 2019

संख्या-4/नि० स० - 12-120/2015-3450 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती मारुति मिंज, (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गुमला) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	MARUTI MINZ- (110093181684)	RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT(RURAL DEVELOPMENT)	<u>State Institute of Rural Development</u> <u>.RANCHI</u> Lecturer	11/02/2013	11/02/2015

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 मई, 2019 ई०।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017- 2783 -- श्री राजेन्द्र ठाकुर, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, खूँटी को प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017- 2784 -- श्री प्रमोद नारायण सिन्हा, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, गुमला को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017- 2785 -- श्री दीपक कुमार मालवीय, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, देवघर को प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017- 2786 -- श्री केदार राम, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, लातेहार को प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, पलामू के पद पर पदस्थापित है।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017- 2787 -- श्री आशीष रंजन कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रशिक्षण हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय, धनबाद में कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017- 2788 -- श्री अनूप मिंज, प्रोबेशन पदाधिकारी, सिमडेगा अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, गुमला के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017- 2789 -- श्री अजितेश कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, दुमका अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, देवघर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017- 2790 -- श्री मनोज बैठा, प्रोबेशन पदाधिकारी, पलामू अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, लातेहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017- 2791 -- श्री रंजीत कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, चास (बोकारो) अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी, अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, तेनुघाट (बेरमो), बोकारो के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुबोध कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

LABOUR, EMPLOYMEN AND TRAINING DEPARTMENT

Notification**24 June, 2019**

S.O-60-- In exercise of the powers conferred by section 112 of the Factories Act, 1948 the Governor of Jharkhand makes the following amendment in the Jharkhand Factories Rules, 1950 :-

(1) Short title, extent and commencement.-

- (i) These rules may be called the Factories (Jharkhand Amendment) Rules, 2019
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

(2) Substitution of Sub rule (2) of Rule (5) of the Jharkhand Factories Rules, 1950

The said Rule shall be substituted by the following:-

“(2) Every license granted or renewed under this chapter shall remain valid or be in force for a minimum period of one year to maximum period of fifteen years as applicable. The licence so granted or renewed shall remain valid up to 31st December of the applied period.

Provided that the fee prescribed under Schedule ‘A’ ‘B’ and ‘C’ is deposited for the period of application.”

“Provided further that in case of temporary factory or the nature of their activity demands for the Chief Inspector may issue factory licence for less than ten year validity on an application made in this behalf by an occupier.”

By order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary to Government

Labour, Employment and Training Department
Government of Jharkhand.

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (साधारण) 23 -- 50 ।